<u>प्रतिवेद्य</u>

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलीय अधिकारिता

<u>दीवानी अपील संख्या 4811/2022</u>

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 18854/2019 से उद्भूत)

अजय कुमार पांडे और अन्य .....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। .....प्रत्यर्थी(गण)

<u>निर्णय</u>

<u>न्यायमूर्ति हेमन्त गुप्ता</u>

1. वर्तमान अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 15.2.2019 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें 7.5.1999 दिनांकित शासकीय आदेश[1] को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन 16.6.2008 दिनांकित विज्ञापन के अनुसरण में, सफाई कर्मचारी के पद पर चयन में हस्तक्षेप नहीं किया गया था।

1. संक्षेप में 'जी.ओ.'

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

2. वर्तमान अपील के तथ्य यह हैं कि मऊ जिले में सफाई कर्मचारियों के 1651 पदों के लिए 16 जून, 2008 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें से 346 पद अनुसूचित जाति, 34 अनुसूचित जनजाति और 445 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थे। इसमें आगे कहा गया है कि विज्ञापित पदों के संबंध में, शासकीय निर्णयों के अनुसार महिलाओं, दिव्यांग उम्मीदवारों, स्वतंत्रता सेनानियों और पूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षण होगा, हालांकि ऐसे आरक्षित पदों की संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई है।

3. दायर की गई रिट याचिका में अपीलार्थियों ने उल्लेख किया है, जिसका अभिलेख उच्च न्यायालय से मांगा गया है, कि 50 पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे।तथापि, कहा जाता है कि ऐसे 50 पद राज्य में दिव्यांग उम्मीदवारों की नियुक्ति की आरक्षण नीति के अनुसार नहीं बल्कि विज्ञापित कुल पदों के 3 प्रतिशत के आधार पर थे।

4. दिव्यांग उम्मीदवारों के संबंध में, राज्य सरकार ने दिनांक 07.05.1999 को एक शासनादेश जारी किया था, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995[2] के तहत ऐसे उपयुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा संचालित किए जा सकने योग्य पदों की पहचान की गई थी।

---

2 संक्षेप में 'अधिनियम'

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

"3. इस संबंध में, सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 32 के तहत और कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और पूर्व सैन्य अधिकारियों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 के संदर्भ में सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों की पहचान की है। चिन्हित पदों की सूची यहां संलग्न है।

4. मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है कि इन वर्गों के लिए आरक्षित पदों के तहत चिन्हित पदों पर नियुक्ति की जानी चाहिए। उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण रिक्ति न भरने की स्थिति में, इसे अगली भर्ती के लिए अग्रेनीत किया जाएगा।

XX XX XX

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए वर्ग 'घ' नौकरियों की पहचान			
1.	दफ्तरी, परिचारक	एस डब्ल्यू एस ई	ओए ओएल पीडी
2.	चपरासी, अर्दली	एस डब्ल्यू एस ई	ओए ओएल पीडी
3.	सफाई कर्मी फर्राश	एस डब्ल्यू एस ई	ओए ओएल डी पीडी पीबी
4.	आदेशिका तामीलकर्ता	एस डब्ल्यू एस ई	ओए डी पीडी

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

5.	अकुशल कार्यालय कर्मी	एस डब्ल्यू एस ई	पीडी ओए ओएल ओए
6.	डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर, साइक्लोस्टाइल मशीन ऑपरेटर	एस डब्ल्यू एस ई	डी पीडी ओएल ओए
7.	स्वीपर ड्राई	एसटी एस डब्ल्यू केसी एसई एफ पी पीएल	पीडी डी
8.	स्वीपर वेट	तदैव	तदैव
9.	स्वीपर, दर्जी	तदैव	तदैव
10.	सफाई वाला और संबंधित कर्मी, अन्य।	तदैव	तदैव
11.	जल वाहक	तदैव	तदैव
12.	धोबी	एसटी एस केसी एसई पीपी एल एफ	पीडी डी
13.	स्टेनसिलर	एसई एस एफ बी	ओए बीएल ओएल पीडी डी
14.	स्टैम्पर हैंड	एसई एस एफ बी	तदैव

XX XX XX

परिशिष्ट क

शारीरिक आवश्यकताएं

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कोड	कार्य
एफ	1. हाथ से किया गया कार्य
पीपी	2. खींचकर और धक्का देकर किया गया कार्य
एल	3. उठाकर किया गया कार्य
केसी	4. घुटने टेककर और झुककर किया गया कार्य
बी	5. झुककर किया गया कार्य
एस	6. (बेंच या कुर्सी पर) बैठकर किया गया कार्य
एसटी	7. खड़े होकर किया गया कार्य
डब्ल्यू	8. पैदल चलकर किया गया कार्य
एसई	9. देखकर किया गया कार्य
एच	10. सुनकर/बोलकर किया गया कार्य

परिशिष्ट ख

कोड	कार्य
बीएल	(i) दोनों पैर प्रभावित, लेकिन हाथ नहीं
बीए	(ii) दोनों हाथ प्रभावित
	(क) विकलांग
	(ख) पकड़ की कमजोरी
बीएलए	(iii) दोनों पैर और दोनों हाथ प्रभावित
ओएल	(ii) एक पैर से प्रभावित (दाया और/या बाँया)
	(क) पहुँच बाधित
	(ख) पकड़ की कमजोरी

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

	(ग) अटेक्सिया
बीएच	(vi) पीठ और कूल्हों का अकड़न (बैठना या झुक न पाना)
एफटी	(vii) सीमित सशक्तता– शीघ्र थकान
एमडब्ल्यू	(viii) मांसपेशियों की कमजोरी और सीमित सशक्तता
आईसी	(ix) चलने–फिरने के समन्वय में सामान्य
बी	(x) अंधा
पीबी	(xi) आंशिक रूप से अंधा
डी	(xii) बधिर
पीडी	(xiii) आंशिक रूप से बधिर

5. उपर्युक्त शासनादेश के परिशीलन से पता चलता है कि स्वीपर ड्राई, स्वीपर वेट, स्वीपर सीवर, स्वीपर क्लीनर और संबंधित कामगार के पदों को ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा भरा जा सकता है जो बधिर या आंशिक रूप से बधिर हैं। दफ्तरी, परिचारक, चपरासी, अर्दली, साफ–सफाई वाला फर्राश, आदेशिका तामीलकर्ता आदि के पदों को चलने –फिरने में विकलांग (लोकोमोटर विकलांग) अभ्यर्थियों द्वारा भरने के लिए चिन्हित किया गया था।

6. अपीलकर्तागण ने, लोकोमोटर विकलांगता (चलने–फिरने में अक्षमता) वाले व्यक्ति होने के नाते, इस आशय के अपने आवेदन प्रपत्र लोकोमोटर विकलांगता प्रमाणपत्रों के साथ प्रस्तुत किए कि श्री अजय कुमार पांडेय की 50% लोको मोटर विकलांगता थी। चंद्र बाली राम की पीपीआरपी बाएँ ऊपरी अंग की 60

प्रतिशत लोको मोटर विकलांगता थी। राम भवन सिंह की पीपीआरपी दाएँ ऊपरी अंग की मांसपेशीय दुर्बलता 70 प्रतिशत थी।

7. अपीलार्थियों का मामला यह है कि उन्होंने साइकिल परीक्षण में भाग लिया और साक्षात्कार के लिए भी उपस्थित हुए, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं की गई, जिसके कारण उन्होंने वर्ष 2018 में उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम के तहत श्रवण दोष के अलावा विकलांगता के अन्य रूप भी हैं। इस प्रकार, सभी श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों को 3 प्रतिशत तक का आरक्षण प्राप्त करने का हकदार पाया गया, जिनमें से प्रत्येक एक प्रतिशत (i) नेत्रहीनता या कम दृष्टि, (ii) श्रवण दोष, और (iii) लोको–मोटर विकलांगता या सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। अतः उच्च न्यायालय ने जी. ओ. को संविधान से अधिकारातीत पाया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

> "धारा 32 केवल राज्य सरकार को प्रत्येक अधिष्ठान में ऐसे पदों की पहचान करने की अनुमति देती है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हो सकते हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी के अधिष्ठान में स्वीपर का पद निःसंदेह वह पद है जिसकी पहचान विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण लागू करने के लिए की गई है। धारा 32 का उद्देश्य उक्त पहचान के साथ पूरा हो जाता है। अतः कानून के अनुसार सफाईकर्मी के उक्त पद पर विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण लागू है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

विकलांगता अधिनियम, 1995 की धारा 2(i) के तहत विकलांगता की परिभाषा के अनुसार विकलांगता के अन्य रूपों में श्रवण दोष के अलावा विकलांगता के अन्य रूप भी शामिल हैं। इस प्रकार, विकलांगता अधिनियम, 1995 की धारा 33 सपठित उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 3 के मद्देनजर, विकलांग व्यक्तियों की सभी श्रेणियां 3 प्रतिशत तक आरक्षण का लाभ उठाने की हकदार हैं, जिनमें से प्रत्येक एक प्रतिशत (i) नेत्रहीनता या कम दृष्टि, (ii) श्रवण दोष, और (iii) लोको–मोटर विकलांगता या सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है।

xx xx xx

इस प्रकार, जब अधिनियम सभी श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करते हैं तो प्रत्यर्थी आरक्षण प्रदान करने के मामले में विकलांग व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच कोई सुगम अंतर नहीं कर सकते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, हमारी यह राय है कि शासनादेश संख्या 4161/63–1–99–18 (24)/97 दिनांकित 07.05.1999 में जहां तक यह विकलांग व्यक्तियों को केवल श्रवण दोष की श्रेणी में आरक्षण प्रदान करता है, अवैध है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के साथ–साथ उत्तर प्रदेश

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 3 और विकलांगता अधिनियम, 1995 की धारा 32 और 33 से अधिकारातीत है। उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम, 1993 सपठित विकलांगता अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों पर आरक्षण लागू होगा।" (प्रभाव वर्धित)

8. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एक बार 7.5.1999 दिनांकित शासनादेश को रद्द कर दिया गया, तो उसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थी लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों की श्रेणी में नियुक्त होने के हकदार थे।

9. दूसरी ओर, राज्य की विद्वान अधिवक्ता सुश्री रुचिरा गोयल ने कहा कि उच्च न्यायालय ने शासनादेश को ही गलत तरीके से रद्द किया है। यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय ने 7.5.1999 दिनांकित शासनादेश को पूरी तरह से गलत समझा है क्योंकि पदों को नियुक्ति चाहने वाले उम्मीदवार द्वारा भरे जाने वाले पदों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आरक्षित किया गया है। यह बताया गया कि स्वीपर (ड्राई, वेट, क्लीनर और संबंधित कामगार) आदि पदों के लिए आरक्षण बधिर और आंशिक रूप से बधिर उम्मीदवारों के लिए प्रदान किया गया है, जबकि लोकोमोटर विकलांग व्यक्तियों के लिए, दफ्तरी, अटेंडेंट, चपरासी, ऑफिस बॉय आदि पदों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। इसलिए 7.5.1999 दिनांकित शासनादेश को निरस्त करना मान्य नहीं था।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

सुश्री गोयल ने यह प्रतिवाद करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908[3] के आदेश XLI नियम 33 के सिद्धांतों पर अवलंब लिया कि रिट याचिका को खारिज करते समय उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए आधारों से इतर अन्य आधारों पर ही उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश को बरकरार रखा जा सकता है।

10. यह भी तर्क दिया गया था कि 8.12.2010 दिनांकित शासनादेश द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में किसी भी वर्ग –4 पदों (तकनीकी पद के सबसे निचले कैडर को छोड़कर) के लिए कोई भर्ती नहीं की जाएगी और केवल आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था बनायी जाएगी। इसलिए उच्च न्यायालय का चयन प्रक्रिया में व्यवधान न डालना कानून के लिहाज से सही था, क्योंकि आदेश की तारीख को चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कोई नियुक्ति नहीं हो सकती थी।

11. 7.5.1999 दिनांकित प्रश्नगत शासनादेश की अधिनियम की धारा 32 और 33 को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की जानी है। ये प्रावधान इस प्रकार हैं:

> **"32. ऐसे पदों की पहचान जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जा सकती हैं–** उपयुक्त सरकारें–
>
> (क) अधिष्ठापनों में ऐसे पदों की पहचान करेंगी, जो दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित की जा सकती हैं।

3 संक्षेप में, 'संहिता'

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(ख) तीन वर्ष से अनधिक के आवधिक अंतरालों पर पहचान किए गए पदों की सूची का पुनर्विलोकन करेंगीं और प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए सूची को अद्यतन करेंगीं।

33. **<u>पदों का आरक्षण–</u>** प्रत्येक समुचित सरकार प्रत्येक अधिष्ठापन में रिक्तियों का इतना प्रतिशत जो विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए तीन प्रतिशत से कम की नहीं होंगी, पर नियुक्तियां करेगी जिनमें से प्रत्येक रिक्तियों का एक प्रतिशत प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचाने गए पदों पर निम्नलिखित से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा –

(i) अंधापन या कम दृष्टि;

(ii) श्रवण दोष;

(iii) लोकोमोटर विकलांगता या प्रमस्तिष्क पक्षाघात,

परन्तु समुचित सरकार, किसी विभाग या अधिष्ठापन में किए गए कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस धारा के उपबंधों से किसी अधिष्ठापन को छूट प्रदान कर सकती है।"

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

12. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 32 और 33 को पूरी तरह से गलत समझा है।

13. ***भारत सरकार द्वारा सचिव और एक अन्य बनाम रवि प्रकाश गुप्ता और एक अन्य*** [4]के निर्णय में इस न्यायालय के समक्ष धारा 32 और 33 विचार के लिए आए, जिसमें यह निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया है:

> "29. हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब तक उपरोक्त अधिनियम की धारा 33 के उद्देश्यों के लिए पदों की पहचान नहीं की जाती है, तब तक इसमें निहित आरक्षित श्रेणियों से कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती है और इस सीमा तक धारा 33 के प्रावधान अधिनियम की धारा 32 पर निर्भर हैं, जैसा कि विद्वान एएसजी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इस तरह की निर्भरता नियुक्ति करने के उद्देश्य के लिए होगी, न कि आरक्षण देने के उद्देश्य के लिए। दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 33 के तहत आरक्षण पहचान(पदों की पहचान) पर निर्भर नहीं है, जैसा कि भारत संघ की ओर से कहा गया है, हालांकि अधिनियम की धारा 33 में उल्लिखित तीन श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या में दिव्यांगजनों के संबंध में नियुक्तियां करने के लिए समुचित सरकार को एक कर्तव्य सौंपा गया है। वास्तव में, ऐसी स्थिति भी देखी गई है कि उम्मीदवारों की

4 (2010) 7 एससीसी 626

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अनुपलब्धता के कारण कुछ आरक्षित पद किसी दिए गए वर्ष में रिक्त रह जाते हैं। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए, ऐसी रिक्तियों को दो वर्षों के लिए अग्रेषित करने का प्रावधान किया गया था, जिसके बाद वे समाप्त हो जाएंगी। चूंकि वर्तमान मामले में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई और विकलांगता अधिनियम, 1995 की धारा 33 के तहत पद आरक्षित नहीं थे, इसलिए रिक्तियों को अग्रेषित करने या उनकी समाप्ति का सवाल ही नहीं उठता।"

(प्रभाव वर्धित)

14. उक्त निर्णय पर इस न्यायालय द्वारा ***भारत संघ और एक अन्य बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड और अन्य***[5] में विचार किया गया था, जिसमें निम्नानुसार यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

"37. स्वीकार्य रूप से, अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए अधिनियमित एक सामाजिक विधान है और इसके उपबंधों की व्याख्या इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जानी चाहिए। इसके अलावा, अर्थान्वयन (व्याख्या) का यह एक स्थापित नियम है कि यदि किसी सांविधिक प्रावधान की भाषा स्पष्ट है, तो उसकी उक्त सांविधिक प्रावधान के सामान्य अर्थ के अनुसार व्याख्या करनी चाहिए। वर्तमान मामले में, धारा 33 का सामान्य और स्पष्ट अर्थ यह है कि प्रत्येक समुचित सरकार को किसी अधिष्ठापन में कम से कम 3

5. (2013) 10 एससीसी 772

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्रतिशत रिक्तियों पर नियुक्त करनी होंगी, जिनमें से प्रत्येक 1 प्रतिशत नेत्रहीनता और कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों, बधिरता से पीड़ित व्यक्तियों और लोकोमोटर डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी।

38. उदाहरण के लिए, यदि किसी अधिष्ठापन में 100 पदों की 100 रिक्तियां हैं, तो संबंधित अधिष्ठापन को विकलांग व्यक्तियों के लिए कम से कम 3 प्रतिशत आरक्षण करना होगा, जिसमें से कम से कम 1 प्रतिशत निम्नलिखित मे से प्रत्येक विकलांगताओं के लिए अलग से आरक्षित किया जाना होगाः अंधापन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति, श्रवण दोष से पीड़ित व्यक्ति और लोकोमोटर विकलांगता या प्रमस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति। उसके लिए आरक्षित 1 रिक्ति के लिए 1 नेत्रहीन व्यक्ति की नियुक्ति अभिज्ञात (चिन्हित) पद पर, उदाहरण के लिए चपरासी का पद, जिसे समूह घ में उसके लिए चिन्हित किया गया है, की जाएगी। इसी प्रकार, समूह घ पद में स्टोर अटेंडेंट के पद पर उस श्रेणी के लिए एक आरक्षित रिक्ति के लिए एक बधिर व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। इसी तरह , लोकोमोटर विकलांगता या सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित किसी व्यक्ति को विकलांगता की उस श्रेणी के लिए चिन्हित किए गए समूह घ पद, 'फर्राश' के पद पर नियुक्त किया जाएगा। चालक के पद के संदर्भ में भारत संघ की ओर से यह तर्क दिया गया था कि चूंकि उक्त पद अंधेपन से पीड़ित

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

व्यक्ति द्वारा संचालित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए इस धारा की उपरोक्त व्याख्या प्रशासनिक आवश्यकताओं के खिलाफ होगी। इस तरह का तर्क पूरी तरह गलत है। किसी दिए गए पद के लिए विकलागंता की एक श्रेणी उपयुक्त हो सकती है जबकि आरक्षण के लाभ के लिए हकदार किसी अन्य श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं भी हो सकती है। वास्तव में, धारा के दूसरे भाग में यह प्रावधान करके इस स्थिति को स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त तीन श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए 1% के बराबर रिक्तियों की संख्या को, नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए उनमें से प्रत्येक के लिए पहचान किए गए पदों में रिक्तियों का उपयोग करके संबंधित श्रेणी द्वारा भरा जाएगा।" (प्रभाव वर्धित)

15. उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के पठन से पता चलता है कि पहचान किए गए पदों से अलग प्रत्येक कैडर में 3 प्रतिशत पद नेत्रहीनता या कम दृष्टि, बधिरता और लोकोमोटर विकलांगता वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जानी है। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय का ऐसा दृष्टिकोण कानून का सही प्रतिपादन नहीं है। 3 प्रतिशत आरक्षण अधिष्ठापन में होना चाहिए, अधिष्ठापन के सभी कैडरों में नहीं, चाहे नौकरी की प्रकृति कैसी भी हो।

16. दिनांक 7.5.1999 के शासनादेश के पठन से पता चलता है कि श्रेणी 'ग' और 'घ' पदों पर शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी से भरे जाने वाले पदों की पहचान की गई है। किसी अधिष्ठापन में पदों की ऐसी पहचान अधिनियम की धारा 32(क) के संदर्भ में की जाती है। हालांकि, प्रौद्योगिकी के विकास को

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

ध्यान में रखते हुए हर तीन साल में इस सूची की समीक्षा की जाती है, हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं किया गया है। लेकिन अधिनियम की धारा 32 के संदर्भ में पदों की पहचान दिनांक 7.5.1999 के शासनादेश में की गई है। इस तरह की पहचान के बाद, प्रत्येक अधिष्ठापनों में नियुक्ति का सवाल उठता है, जहां नेत्रहीनता या कम दृष्टि, बधिरता और लोकोमोटर विकलांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 3 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित की जाती हैं। अधिनियम की धारा 33 के तहत पदों का ऐसा आरक्षण सभी श्रेणियों के पदों के लिए नहीं है, भले ही कार्य की प्रकृति कुछ भी हो। 3 प्रतिशत आरक्षण अधिष्ठापन में प्रदान किया जाना है, न कि हर कैडर में।राज्य सरकार ने बधिर उम्मीदवारों के लिए कुछ पदों को आरक्षित करने का निर्णय लिया है, न कि लोकोमोटर विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए।

17. हम पाते हैं कि दिनांक 07.05.1999 के शासनादेश की सरसरी निगाह के आधार पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 07.05.1999 के शासनादेश को अपास्त नहीं किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा भरे जा सकने वाले पदों की पहचान करना अधिनियम की धारा 32 के तहत समुचित सरकार की जिम्मेदारी है, जो वर्तमान मामले में राज्य सरकार है। एक बार ऐसा करने के बाद, अधिनियम की धारा 33 के संदर्भ में समुचित सरकार दृष्टि विकलांगता, श्रवण दोष और लोकोमोटर विकलांगता के लिए प्रत्येक में एक प्रतिशत आरक्षित करेगी। पदों की पहचान और विकलांग उम्मीदवारों की श्रेणी, जिन्हें आरक्षित पदों पर नियुक्त किया जा सकता है,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

समुचित सरकार को प्रदत्त शक्ति है। इस तरह की कवायद और पदों के आरक्षण में, इस तरह के आरक्षण को पूरी तरह से मनमाना, अतार्किक या हासिल किए जाने वाले उद्देश्यों के खिलाफ और न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के बिना, हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था।

18. हम पाते हैं कि समग्र रूप से शासनादेश को निरस्त करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश अनुमानों पर आधारित है, इस प्रकार उक्त आदेश विधि में पोषणीय नहीं है। चूंकि सफाई कर्मचारियों के पदों को लोकोमोटर विकलांगता वाले अभ्यर्थियों में से भरने के लिए चिन्हित नहीं किया गया है , इसलिए अपीलकर्ता को इस श्रेणी के पद के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है, भले ही वे साइकिल टेस्ट या साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए हों। विज्ञापन के संदर्भ में अपीलकर्ता ऐसे पदों के सापेक्ष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे। दिनांक 07.05.1999 का शासनादेश विज्ञापन का हिस्सा है और इसलिए, अपीलकर्ता केवल इस कारण से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पद के सापेक्ष नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं कि वे लोकोमोटर विकलांग उम्मीदवार हैं, जब ऐसा पद सफाई कर्मचारियों के लिए आरक्षित नहीं था।

19. परिणामतः दिनांक 7.5.1999 के शासनादेश को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाता है। इस प्रकार, हम वर्तमान अपील में कोई मेरिट नहीं पाते हैं। तदनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

.....

(न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता)

.....

(न्यायमूर्ति विक्रम नाथ)

नई दिल्ली;

01 अगस्त 2022.

.

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।